

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 10/5/2018

क्रमांक- 940/190/बजट/2018
प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय:-योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 में कार्यालय एवं आकस्मिक व्यय मदों के अंतर्गत बजट आवंटन -वित्तीय वर्ष 2018-19

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक 0798 एवं 6066 अन्तर्गत कार्यालय तथा अन्य आकस्मिक व्यय मदों में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

क	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44-2202-03-103-0101- 0798-	आवंटित राशि
1	शा.कन्या महावि.मुरार जिला ग्वालियर	सीएचई आदेश क.94 दि.1.5.18	0798-22-008 अन्य आकस्मिक व्यय (याचिका क. 1263 के संदर्भ में)	5000
2	शा.पी.जी.महावि.धार	778/3.4.18	0798-11-009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	25000
3	शा.महावि.भेल भोपाल	115/ 28.4.18	0798-11-009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	20000
4	शा.पी.जी.महावि.सीहोर	2099/ 26.4.18	0798-11-009 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	13865
5	शा.महावि.शाहपुर जिला बेतूल	1592/ 5.4.18	0798-22-004 पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	125000
6	शा.महावि.कटगी जिला बालाघाट	विधा.855/ 5.3.18 प्राचार्य 751/12.12.17	0798-22-004 पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	150000
7	शा.महावि.परासिया जिला छिन्दवाड़ा	विधा. दि.13.3.18 द्वारा मान.मंत्रीजी	0798-22-004 पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	100000
	योग			438865

(2) उक्त राशि का आहरण उपरोक्तानुसार उल्लेखित बजट शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट से विकलनीय होगा।

- (3) व्यय करने के पूर्व समय-समय पर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं अद्यतन भण्डार कय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
 - (4) सामग्री कय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार कय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
 - (5) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावें।
 - (7) कय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
 - (8) चिकित्सा प्रतिपूर्ति अन्तर्गत आबंटन के संबंध में वास्तविक भुगतान चिकित्सा परिचर्या नियम-1958 एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित/अद्यतन नियम/निर्देशों के प्रावधानानुसार (Disposable & Consummable) आदि अदेय राशियों की कटौती उपरांत भुगतान किया जावे।
 - (9) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
 - (10) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।
 - (11) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
- "आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"**

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 10/5/2018

पृ0क0- 941 / 190 / आउशि / बजट / 2018

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायालय प्रकोष्ठ कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गोपीनीय प्रकोष्ठ, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
6. समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संबंधित कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश